छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी–मार्च, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 06 फरवरी, 2024 (माघ 17,1945)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. निधन का उल्लेख

श्री शिव नेताम, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व राज्यमंत्री।

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री ओ. पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 07–37/2022/32, दिनांक 6 सितम्बर,2023 पटल पर रखेंगे।

4. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

5. सभापति तालिका की घोषणा

6. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, मुंगेली विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की स्थिति जर्जर होने की ओर उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, जिला जांजगीर–चांपा के के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा उत्सर्जित फ्लाईऐश (राखड़) का अवैध डम्पिंग किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

क्रमशः 2

निर्धारित समय

7. वित्तीय वर्ष 2023–2024 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या – 1, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 19, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 41, 42, 50, 55, 56, 64, 67, 69, 71, 79, 80 एवं 82 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **तेरह हजार चार सौ सतासी करोड़, चार लाख, इक्यानवे हजार, दो सौ सात रूपये** की अनुपूरक राशि दी जाये।

3 घंटे

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक–1) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 05 फरवरी, 2024